न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 33/2019

अनवान

1. प्रकाश चन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण गुरू(गर्ग) निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. लहरी बाई पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण गुरू(गर्ग) निवासी हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. अजीज मोहम्मद पुत्र इमामबक्ष मुसलमान निवासी हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. भैरू लाल पुत्र कालु लाल माली निवासी माली मोहल्ला हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. लालाराम पुत्र श्री कालुराम माली निवासी माली मोहल्ला हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. सीता पुत्री कालुलाल माली निवासी माली मोहल्ला हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. नर्बदा देवी पत्नि मोहन लाल माली निवासी माली मोहल्ला हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. राजेन्द्र लाल छीपा नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
7. मोहम्मद सद्दीक पुत्र मोहम्मद रफीक नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 01—04—2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 04.07.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1442 की कृषि भूमि की आ.न. 3137 रकबा 00.4552 है. कुल किता 01 कुल रकबा 00.4552 है. भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनाक 04.07.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 से 7 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अत न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अत इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अत इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—आदेश—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अभिलेख निरीक्षक** [illegible] **मे उसके खाते की खाता संख्या 1442 की कृषि भूमि की आ.**[illegible] **किता 01 कुल रकबा 00.4552 है. भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड [illegible] 1956 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300 [illegible] पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये. साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनाक 01/04/2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:57:17 IST
Reason: SelfAttested